बुनियादी साक्षरता संबंधी सीखने के प्रतिफल
'उल्लास' प्रवेशिका का समीक्षात्मक अध्ययन

उषा शर्मा*

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रौढ़ शिक्षा और जीवनपर्यंत सीखना के संदर्भ में 2030 तक पूर्ण साक्षर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की अनुशंसा करती है। इसके साथ ही यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है कि बुनियादी साक्षरता प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना और जीविकोपार्जन का अवसर प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। प्रौढ़ शिक्षा का नाम अब 'सभी के लिए शिक्षा' है। पूर्ण साक्षर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे अहम नींव है — बुनियादी साक्षारता एवं संख्या-ज्ञान। इस हेतु शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसे 'उल्लास' (ULLAS – Understanding of Lifelong Learning for All) भी कहते हैं। इस हेतु 2021 में रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली में राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इस प्रकोष्ठ द्वारा सीखने के प्रतिफलों का निर्माण किया गया और उसी को आधार बनाकर 'उल्लास' प्रवेशिकाओं का निर्माण किया गया। यह शोध पत्र इन्हीं प्रवेशिकाओं का एक समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है जिसमें यह पड़ताल करने का प्रयास किया गया है कि प्रवेशिकाएँ बुनियादी साक्षरता संबंधी सीखने के प्रतिफलों की उपलब्धि में किस रूप में सहायक हैं। ये प्रवेशिकाएँ बुनियादी साक्षरता संबंधी सीखने के प्रतिफलों की उपलब्धि में किस प्रकार के अवसर प्रदान करती हैं? क्या प्रवेशिकाएँ पढ़ना-लिखना सीखने में शिक्षार्थी के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को संबोधित करती हैं? क्या प्रवेशिकाएँ भाषा के विशेष संदर्भ में बहुभाषिकता के विभिन्न मुद्दों को संबोधित करती हैं? शिक्षार्थी द्वारा हिंदी भाषा सीखने में उनकी मातृभाषा के प्रयोग संबंधी प्रावधान किस प्रकार के हैं? हिंदी भाषा और गणित का किस प्रकार से एकीकृत रूप संयोजित किया गया है? यह शोध पत्र इन्हीं शोध प्रश्नों के संभावित उत्तरों को प्रस्तुत करता है जिससे इन प्रवेशिकाओं की सार्थकता प्रासंगिक प्रतीत होती है।

प्रस्तावना

शिक्षा जीवन का एक अभिन्न अंग है और आवश्यकता भी। अभिन्न इस रूप में कि जीवन और शिक्षा दोनों ही निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएँ हैं और एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। भारत का संविधान अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार देता है और अनुच्छेद 21 'क' शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इस अर्थ में जीवन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह भी सत्य है कि गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सहायक होती है।

* *आचार्य एवं प्रभारी, राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र प्रकोष्ठ, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली*

शिक्षा के संबंध में यह समझना भी आवश्यक है कि शिक्षा स्कूल या कॉलेज की चहारदीवारी से बँधी हुई नहीं है। वह उसके भीतर और बाहर दोनों जगह अपनी उपस्थिति दर्ज़ करती है। हम अपने परिवेश से भी निरंतर सीखते रहते हैं। सीखना जितना उत्कृष्ट होता है, मानव- क्षमता भी उतनी उत्कृष्ट होती जाती है जिसके परिमाणस्वरूप जीवन को समझने और गरिमामय जीवन जीने में उतनी ही उत्कृष्टता देखने को मिलती है। इस तरह शिक्षा और जीवन परस्पर संबद्ध हैं।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 के अंतर्गत विश्व में, "सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवनपर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने" का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 में तीन बिंदु ध्यान देने योग्य हैं—(क) सभी के लिए शिक्षा; (ख) समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा; और (ग) जीवनपर्यंत शिक्षा के अवसर। ये तीनों बिंदु किसी भी राष्ट्र की शिक्षा नीति के आधारभूत तत्व हैं। भारत की *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* भी इन्हीं तीनों बिंदुओं का समर्थन करते हुए अनेक अनुशंसाएँ करती है।

शिक्षा का लक्ष्य जहाँ एक ओर व्यक्ति की क्षमता के विकास से संबद्ध है वहीं वह समाज और राष्ट्र के विकास व उनके निर्माण से भी संबद्ध है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, "शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है" (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृष्ठ 3)। इसके साथ ही नीति मानवीयता के दृष्टिकोण हेतु संकेत करती है, "शिक्षा वह उचित माध्यम है, जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्द्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है" (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृष्ठ 3)। इस रूप में शिक्षा से यह अपेक्षा की जाती है कि वह व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के लिए कल्याणकारी हो, जिसका रूप व्यापक और सर्वजन हिताय हो।

सभी के लिए शिक्षा (पूर्व में प्रौढ़ शिक्षा) के संदर्भ में भी 15 वर्ष अथवा उससे ऊपर के आयु-वर्ग के शिक्षार्थियों के लिए यही कल्याणकारी शिक्षा का रूप स्वीकार्य है और अपेक्षित भी है। शिक्षा न केवल साक्षरता और संख्या-ज्ञान जैसी 'बुनियादी क्षमताओं' के विकास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है बल्कि वह उसके साथ-साथ 'उच्चतर स्तर' की तार्किक और समस्या-समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास से भी जुड़ी हुई है। शिक्षा नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति के विकास को महत्व देती है। शिक्षार्थी (प्रौढ़) के संदर्भ में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी शिक्षा को इसी मूलभूत आवश्यकता के रूप में देखा गया है और इसी के अनुरूप बुनियादी क्षमताओं के साथ उच्च स्तर की तार्किकता तथा समस्या समाधान आदि क्षमताओं के विकास संबंधी अनुशंसा की गई है, क्योंकि समाज और देश के स्तर पर साक्षरता और बुनियादी शिक्षा एक ऐसी शक्ति है, जो विकास का मार्ग प्रशस्त करती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21'क' के अनुसार 6–14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है जो एक मानव अधिकार

भी है जिसे अनुच्छेद 26 में उल्लिखित किया गया है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* का अध्याय 21 "प्रौढ़ शिक्षा और जीवनपर्यंत सीखना" के संदर्भ में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है, "बुनियादी साक्षरता प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना और जीविकोपार्जन का अवसर प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। साक्षरता और बुनियादी शिक्षा किसी व्यक्ति के वैयक्तिक, नागरिक, आर्थिक और जीवनपर्यंत शिक्षा के अवसरों की एक नवीन दुनिया खोल देती है, जो व्यक्ति को निजी और पेशेवर, दोनों ही स्तरों पर आगे बढ़ने में मदद करती है" (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृष्ठ 83)। इस प्रकार साक्षरता एक व्यापक अवधारणा है, जो केवल अक्षर-ज्ञान या संख्या-ज्ञान तक सीमित नहीं है बल्कि विभिन्न संदर्भों में विषयों को ठीक से समझने, रचने, गणना करने और संवाद करने की क्षमता है। यह विषयगत सामग्री किसी भी रूप में हो सकती है — श्रव्य, दृश्य, डिजिटल आदि। ऐसा भी कहा जा सकता है कि हमारे आस-पास भाषा जिस रूप में और जिस प्रकार से प्रयुक्त होती है, संदर्भानुसार उसका अर्थ ग्रहण करना और अपने लिए उसका उपयोग करना ही साक्षरता का उद्देश्य है। यह बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान प्रकार्यात्मक है और जीवन को उत्कृष्ट तरीके से जीने में सहायक है।

उल्लास — नव भारत साक्षरता कार्यक्रम

भारत सरकार ने *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 तक पाँच वर्षों के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना 'नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' को मंजूरी दी हैं। जिसे प्रचलित रूप से उल्लास (समाज में सभी के लिए जीवनपर्यंत शिक्षा की समझ) के नाम से जाना जाता है और इसका आदर्श वाक्य है — जन-जन साक्षर। इस योजना का उद्देश्य सभी 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को सशक्त बनाना है, जिन्हें उचित स्कूली शिक्षा नहीं मिल पाई है और उन्हें समाज के साथ मुख्यधारा के जोड़ना है ताकि वे देश की विकास गाथा में अधिक योगदान दे सकें।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को पढ़ना, लिखना और अंकगणित सिखाने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका विस्तार व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जीवन कौशल की समझ के साथ समृद्ध करना और भारत की जनता के बीच जीवनपर्यंत सीखने की संस्कृति को प्रोत्साहित करना भी है। यह कार्यक्रम महिलाओं, पिछड़े और हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि साक्षरता एवं अन्य महत्वपूर्ण जीवन कौशल, सभी के लिए सुलभ और प्राप्त करने योग्य हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के अनुरूप इस योजना में मुख्य पाँच घटकों का उल्लेख किया गया है— 1. बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान; 2. महत्वपूर्ण जीवन कौशल (जैसे — वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक कौशल, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, शिशु पालन और शिक्षा एवं परिवार कल्याण); 3. व्यावसायिक कौशल विकास (स्थानीय रोज़गार प्राप्ति के लिए); 4. बुनियादी शिक्षा (प्रारंभिक, मध्य एवं माध्यमिक स्तर के समकक्ष); एवं 5. सतत शिक्षा (जैसे— कला, विज्ञान, तकनीकी, संस्कृति, खेल, मनोरंजन आदि के अलावा स्थानीय शिक्षार्थियों की रुचि अथवा लाभ की दृष्टि से अन्य विषयों, उदाहरण के

लिए महत्वपूर्ण जीवन कौशलों पर अधिक उन्नत सामग्री पर प्रौढ़ कोर्स) (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृष्ठ 84)। 'उल्लास' कार्यक्रम को स्वयंसेवा के माध्यम से लागू किया जा रहा है। जिसमें कक्षा 5 और उससे उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी स्वयंसेवी शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करेंगे। साथ ही उच्च शिक्षा के अंतर्गत विश्वविद्यालय एवं कॉलेज तथा अध्यापक कार्यक्रम के प्रशिक्षु (विद्यार्थी शिक्षक) भी असाक्षर शिक्षार्थियों को साक्षर बनने में सहयोग करेंगे। इनके अतिरिक्त समुदाय के सदस्य भी उल्लास कार्यक्रम में सहभागी होंगे। उल्लास महत्वपूर्ण जीवन कौशल के माध्यम से यह कार्यक्रम व्यक्तियों को समाज में सक्रिय भागीदार बनने के लिए सशक्त बनाता है। यह सशक्तीकरण शिक्षार्थियों के लिए अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। 'उल्लास' एक साक्षरता कार्यक्रम से कहीं अधिक है; यह एक आंदोलन है, उज्ज्वल भविष्य और सशक्त शिक्षार्थियों की ओर एक अभियान है।

सीखने के प्रतिफल — बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान

जैसा कि ज्ञात है कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की अनुशंसाओं एवं 'उल्लास' कार्यक्रम में मुख्य पाँच घटकों में से एक है — बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान। इसका सामान्य अर्थ किसी भाषा में पढ़ना-लिखना सीखना और गणित सीखना है। वे व्यक्ति जो किसी कारण से विद्यालय नहीं जा सके और पढ़ना-लिखना, गणित नहीं सीख सके, उन सभी के लिए इस योजना में विशेष प्रावधान किए गए हैं। सीखने के प्रतिफल मुख्य रूप से यह स्पष्ट करते हैं कि पढ़ना, लिखना और गणित में किस स्तर तक की दक्षताओं को प्राप्त करना है और वे कौन-सी दक्षताएँ हैं। भाषा के संदर्भ में 15 वर्ष और उससे ऊपर की आयु-वर्ग के व्यक्ति अपनी मातृभाषा में सुनने-बोलने का एक समृद्ध अनुभव रखते हैं अर्थात वे दैनिक जीवन में मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। वे अपनी भाषा में परस्पर संवाद करने में निपुण होते हैं और मौखिक भाषा का व्यावहारिक ज्ञान रखते हैं। संभवत: वे लिखित भाषा में उतने दक्ष नहीं होते। वे लिखी हुई भाषा को पढ़ने और लिखकर अपनी बात को अभिव्यक्त करने की दक्षता में भी अधिक निपुण नहीं होते होंगे। अत: सरल शब्दों में कहें तो वे भाषा में पढ़ने-लिखने की कुशलता नहीं रखते।

इसी प्रकार वे मौखिक रूप से रुपये-पैसे का लेन-देन तो कर लेते हों, जो मूलत: व्यवहार और प्रयोग से आ जाता है लेकिन वे लिखी हुई संख्याओं को पहचानने, संख्याओं को जमा, घटा, गुणा, भाग करने, मापन की इकाइयों को पहचानने और जमा, घटा आदि गणितीय संक्रियाओं को करने में समस्या का सामना करते हों। सीखने के प्रतिफल में भाषा को पढ़ने-लिखने और गणित संबंधी दक्षताओं को उचित स्थान दिया गया है। सीखने के ये प्रतिफल औपचारिक विद्यालयी व्यवस्था में कक्षा 2 के समकक्ष हैं, लेकिन गणित में उससे आगे की विषय-वस्तु दी गई है, उदाहरण के लिए आँकड़ों का प्रबंधन जिसमें वे दिए गए आँकड़ों को पढ़कर समझते हैं और अपनी राय बनाते हैं। इसमें हम मतदान संबंधी जानकारी भी दे सकते हैं।

'उल्लास' प्रवेशिका

'उल्लास' कार्यक्रम के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान के अर्जन को केंद्र में रखते हुए 15 वर्ष अथवा उससे ऊपर की आयु-वर्ग के असाक्षर शिक्षार्थियों के लिए 'उल्लास' प्रवेशिकाओं का निर्माण किया गया है। ये प्रवेशिकाएँ चार भागों में हैं और इनका संक्षिप्त संस्करण भी उपलब्ध है। इन प्रवेशिकाओं में एक ओर बुनियादी क्षमताओं के विकास का लक्ष्य रखा गया है तो दूसरी ओर उच्च स्तर की क्षमताओं के उन्नयन को सुनिश्चित किया गया है। जैसा कि पूर्व में इस बिंदु की चर्चा की गई है कि 'उल्लास' के शिक्षार्थी अपने जीवन के अलग-अलग संदर्भों में अपनी मातृभाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करने की क्षमता रखते हैं। वे अपनी बात को कहने और दूसरों की बात को सुनकर समझने की योग्यता भी रखते हैं। वे गणित का व्यावहारिक प्रयोग जानते-समझते हैं। लेकिन संभवत: 'उल्लास' के शिक्षार्थी भाषा और गणित के लिखित रूप से अधिक परिचित न हों या बिल्कुल भी परिचित न हों।

शिक्षार्थियों के जीवन को आधार बनाकर विकसित की गई 'उल्लास' प्रवेशिकाएँ पर्याप्त रूप से ऐसे अवसर प्रदान करती हैं, जिससे शिक्षार्थियों में हिंदी भाषा और संख्या-ज्ञान की बुनियादी क्षमता का विकास हो सके। वे अपने जीवन में पढ़ने-लिखने और गणित का व्यावहारिक प्रयोग कर सकें। 'उल्लास' प्रवेशिकाएँ केवल अक्षर ज्ञान और अंकों की पहचान तक सीमित नहीं है बल्कि वह पढ़कर समझने, समझकर लिखने और गणित की अवधारणाओं की समझ व उनका दैनिक जीवन में प्रयोग करने के व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित हैं।

'उल्लास' प्रवेशिका के चारों भागों एवं 'उल्लास प्रवेशिका—संक्षिप्त संस्करण' के पाठ अंतर्वस्तु (थीम) पर आधारित हैं अर्थात पाठों की विषय-वस्तु को 13 अंतर्वस्तु (थीम) के अंतर्गत विकसित किया गया है। प्रवेशिका में 15 वर्ष व उससे बड़ी उम्र के 'उल्लास' शिक्षार्थियों के जीवन में जो भी सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य हैं तथा जहाँ-जहाँ पर भाषा के बोलने, पढ़ने, लिखने और गणित का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, ऐसी विषय-वस्तु को सुगम एवं ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए, परिवार और पड़ोस, बातचीत, खान-पान और स्वास्थ्य, यात्रा, आपदा प्रबंधन, कानूनी साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, साइबर सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, खरीदारी, बैंक आदि। इन पाठों

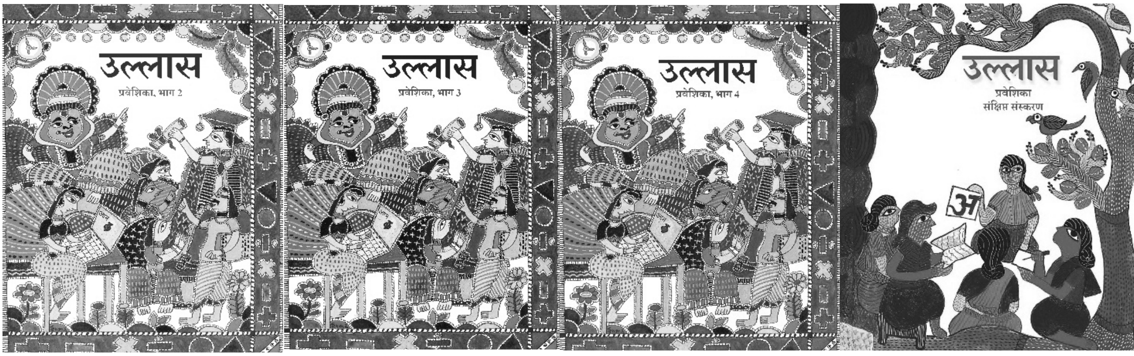

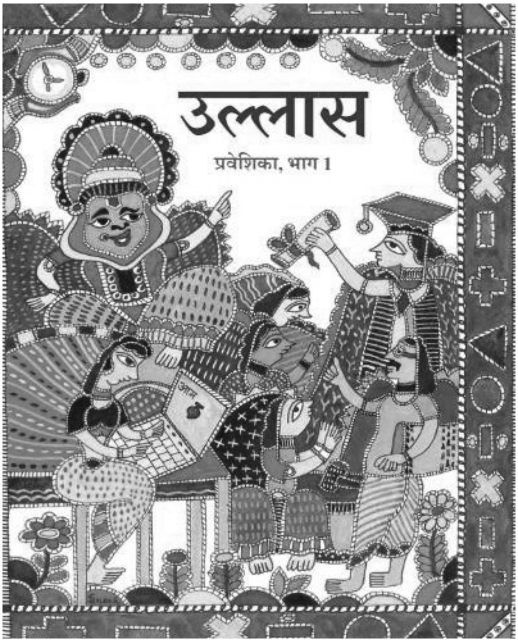

की विषय-वस्तु की रचना इस प्रकार से की गई है कि उल्लास शिक्षार्थी इन पाठों के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकें और उन्हें ये पाठ जीवनयापन करने में मदद कर सकें। उदाहरण के लिए 'मुसीबतें कैसी-कैसी' पाठ में विभिन्न प्रकार की आपदाओं के बारे में बताया गया है। अगर बाढ़ आ जाए तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं? इसी तरह, यदि भूकंप आए तो हमें क्या करना करना चाहिए और क्या नहीं? साथ ही पाठ के अंत में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो उल्लास शिक्षार्थियों को यह अवसर देते हैं कि वे पढ़ी हुई विषय-वस्तु को अपने परिवेश के संदर्भ में समझें और अपने अनुभव भी साझा करें। उदाहरण के लिए 'मुसीबतें कैसी-कैसी' पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न इस प्रकार हैं—

- सोचिए, अगर आपके यहाँ भी भूकंप आ जाए तो क्या आपके घर को भी खतरा होगा? यदि हाँ, तो आप कहाँ रहेंगे?
- क्या आपने अपने जीवन में सूखा, भूकंप, बाढ़ जैसी किसी प्राकृतिक आपदा का सामना किया है? यदि हाँ, तो अपना अनुभव साझा कीजिए।

इसी प्रकार सभी पाठों में जीवन से जुड़ी आवश्यक जानकारी प्रदान की गई है, जैसे—

भूकंप आने पर क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए?

अगर आप घर के अंदर हों तो—

- ज़मीन पर झुक जाएँ। किसी मज़बूत मेज़ के नीचे बैठ जाएँ।
- मेज़ न हो तो अपने चेहरे और सिर को बाजुओं से ढक लें।
- शीशे, खिड़कियों, दरवाज़ों से दूर रहें।

उल्लास प्रवेशिका के पाठों में विभिन्न साहित्यिक विधाओं को भी उचित स्थान दिया गया है। इसमें कहानियाँ, कविताएँ, एकांकी का अंश, यात्रा-वृत्तांत, पत्र, आत्मकथा आदि सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए 'हाँ जी ना जी', 'जब धरती काँपी' जैसी कहानियाँ दी गई हैं। 'ठीक समय पर', 'आओ बादल' आदि रोचक कविताएँ हैं। 'गांधी जी आत्मकथा से' (आत्मकथा); 'स्कूल को चिट्ठी' (पत्र); 'अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा' (एकांकी); तथा 'दीवाली के दीये' (संस्मरण) सम्मिलित हैं। ये जानकारी के साथ-साथ भाषा और गणित की अवधारणाओं को समझने का अवसर देते हैं।

'उल्लास' प्रवेशिका का एक अत्यंत विशिष्ट बिंदु है—हिंदी भाषा (साक्षरता) और गणित का एकीकृत रूप। यह रूप इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब हम कोई भी विषय पढ़ते हैं तो वह किसी-न-किसी भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।

इस रूप में भाषा माध्यम का कार्य करती है। गणित की भी एक भाषा होती है और वह उस भाषा विशेष में प्रस्तुत गणित को समझने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, उल्लास प्रवेशिका — भाग 1, पाठ 1 में 'राजा के परिवार' के चित्र को देखने के पश्चात जो प्रश्न पूछे गए हैं, वे संख्या पर आधारित हैं, जैसे— राजा का परिवार बैलगाड़ी से जा रहा है। देखिए, गिनिए और लिखिए —

- गाड़ी में कुल कितने व्यक्ति हैं?
- गाड़ी में कुल कितने पुरुष हैं?
- गाड़ी में कितनी महिलाएँ है?
- टोकरी में कितने तरबूज हैं?

इसी प्रकार से बीस, सात, आठ, दस, तीन, सात आदि का शब्दों में उपयोग अक्षर विशेष और शब्द विशेष पढ़ना-लिखना सिखाने के लिए किया गया है। मोबाइल से मोबाइल नंबर, मोबाइल के विभिन्न प्रयोग और गणित के अंकों को सीखने-सिखाने का अवसर भी 'उल्लास' प्रवेशिका में सहज भाव से प्रस्तुत किए गए हैं। 'उल्लास' प्रवेशिका के चारों भागों एवं संक्षिप्त संस्करण में विषय-वस्तु को इसी एकीकृत रूप में संयोजित किया गया है।

इन प्रवेशिकाओं के अधिकतर पाठों की शुरुआत में एक बड़ा चित्र या पोस्टर दिया गया है ताकि उस पर शिक्षार्थियों के बीच अनौपचारिक एवं सारगर्भित चर्चा हो। साथ ही इसमें अंतर्वस्तु (थीम) पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, जो चित्र में दी गई विषय-वस्तु को सीखने व समझाने में मदद करते हैं। इन पाठों में 'मेरे शब्द' एक अन्य विशेषता है। जिसमें उल्लास शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा में अपने शब्दों को लिखने और पढ़ने का अवसर मिलता है। इस प्रकार यह बहुभाषिकता को संबोधित करने का एक सराहनीय उपाय है। शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन से ही लिए गए शब्दों, वाक्यों, मुहावरों, घटनाओं, चित्रों आदि को पाठों में समीचीन स्थान दिया गया है। इससे प्रवेशिका और जीवन के बीच की खाई को पाटने का प्रयास किया गया है।

उल्लास प्रवेशिका, भाग 1, पाठ 1 'परिवार और पड़ोस' पृष्ठ 2

'उल्लास' प्रवेशिका के चारों भागों में शिक्षार्थियों को हिंदी भाषा की वर्णमाला सिखाने के लिए हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को एक क्रम में प्रस्तुत न करके पाठ की अंतर्वस्तु (थीम) में सहज भाव से समावेशित किया गया है। उदाहरण के लिए पाठ 1 'परिवार और पड़ोस' थीम पर आधारित है, जिसमें दिए गए बड़े चित्र या पोस्टर में संवाद की संभावनाएँ दी गई हैं।

इस चित्र में शब्दों (दुकान, लोग, परिवार, घर, रसोईघर, दरवाज़ा, वकील) के साथ-साथ शब्दों में प्रयुक्त अक्षरों, जैसे— 'अ, आ, न, प, स, र, व' को स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस पाठ में 'आ' की मात्रा को भी सीखने-सिखाने का प्रयास किया गया है।

बुनियादी साक्षरता संबंधी सीखने के प्रतिफल और उल्लास प्रवेशिका

विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में बुनियादी साक्षरता पर पूर्व-प्राथमिक से लेकर कक्षा 2 तक (बुनियादी स्तर) विशेष बल दिया गया है। इस स्तर पर भाषा और गणित की बुनियादी कुशलताओं को सीखने-सिखाने का कार्य किया जाता है। भाषाई विकास की दृष्टि से भाषा की बुनियादी विषय-वस्तु समझने के बाद ही भाषा का अर्थपूर्ण प्रयोग संभव है। 'उल्लास' के संदर्भ में भी पढ़ने-लिखने की इन्हीं बुनियादी विषय-वस्तु को समझना है और जीवन में उनका प्रयोग करना है। 'उल्लास' शिक्षार्थियों का भाषा के मौखिक रूप से परिचित होना सबसे बड़ी भाषाई पूंजी है।

उनके पास भाषा का इतना समृद्ध अनुभव है कि वे भाषा को सुनकर समझना और समझकर बोलने की कुशलताओं में दक्ष हैं। उनकी यही कुशलता और दक्षता भाषा को पढ़ने और लिखने में सहायता करती है।

'उल्लास' के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता संबंधी सीखने के प्रतिफलों में भाषा की बुनियादी इकाइयों से शुरू करते हुए भाषा की समझ के उच्चतर स्तर तक पहुँचने का प्रयास किया गया है, जैसे—सीखने के कुछ प्रतिफलों के अनुसार शिक्षार्थी—

- अक्षरों की ध्वनि को उनकी आकृति से जोड़ते हैं।
- स्वर और उनकी संबंधित मात्रा को पहचानते हैं।
- दिए गए अक्षर या ध्वनि से शुरू या समाप्त होने वाले शब्दों की सूची बनाते हैं।
- स्पष्ट रूप से अक्षर, शब्द, छोटा टेक्स्ट आदि लिखते हैं।
- भाषा में आवृत्ति वाले (बार-बार आने वाले) शब्दों की पहचान करते हैं।
- प्रवेशिका की भाषा अथवा अपनी भाषा में चीज़ों को नाम देते (लिखते) हैं।
- पाठ्य-वस्तु के आधार पर प्रश्नों के उत्तर (प्रतिक्रिया, टिप्पणी, तर्क, राय आदि) देते हैं।

ये प्रतिफल हिंदी भाषा में अक्षर, शब्द और छोटा टेक्स्ट पढ़ने-लिखने पर आधारित हैं, लेकिन यह सीखने की पद्धति शिक्षार्थी-केंद्रित और उनके सीखने के तरीके पर आधारित है। यहाँ साक्षरता की परिभाषा को भी केंद्र में रखना होगा, जो महत्वपूर्ण जीवन कौशलों के माध्यम से अर्थपूर्ण पढ़ने-लिखने की चर्चा करती है।

'उल्लास' प्रवेशिका में दिए गए पोस्टरनुमा बड़े आकार के चित्रों पर चर्चा होती है। चर्चा का विषय चित्र की विषय-वस्तु (थीम) होती है जिसमें शिक्षार्थियों के अनुभव, जिज्ञासाएँ, प्रश्न, राय, टिप्पणी, प्रतिक्रिया आदि आमंत्रित की जाती हैं। उदाहरण के लिए, 'उल्लास' प्रवेशिका, भाग 2 के पाठ 5 के चित्र में स्वास्थ्य, स्वच्छता, टीकाकरण, हाथ धोने आदि के बारे में सर्वप्रथम शिक्षार्थियों के साथ चर्चा की जाएगी और उनके अनुभव साझा किए जाएँगे। उस प्रक्रिया में प्रत्येक शिक्षार्थी को यह अवसर मिलता है कि वह अपनी बात कह सके, अपने अनुभव साझा कर सके, जैसे— बच्चों के टीकाकरण में उन्हें किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आदि। यहीं शिक्षार्थियों के साथ चर्चा के दौरान स्वास्थ्य, स्वच्छता पर आधारित अतिरिक्त जानकारी दी जा सकती है। वहीं पाठ 5 की अंतर्वस्तु (थीम) पर आधारित या उससे जुड़े हुए शब्द दिए गए हैं, जिन्हें चित्रों के माध्यम से पहचानने और पढ़ने का कार्य किया जाता है। उदाहरण के लिए मच्छर, फल, दवाई, कसरत, कूड़ा, साबुन, दूध आदि शब्दों को चित्र से अनुमान लगाकर पढ़ने का निर्देश दिया गया है। इन्हीं शब्दों के माध्यम से 'ऊ', 'उ', 'ह', 'छ', 'फ', 'ठ', 'थ' आदि अक्षरों और इनसे बनने वाले शब्दों की पहचान करने, पढ़ने और लिखने का निर्देश दिया गया है। शिक्षार्थियों के स्तर एवं क्षमता के अनुसार शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे—

- 'उस्तरा', 'उपज', 'उलटना', 'उसका', 'उतरना', 'उल्लू' आदि शब्दों में 'उ' की पहचान करना।

- हिंदी भाषा के विभिन्न अक्षरों में ‘उ’ की पहचान करना और पढ़ना।
- पूर्व पाठों में पढ़े गए अक्षरों की पहचान करना।
- पूर्व पाठों में आए अक्षरों की मदद से इस पाठ के शब्द पढ़ने का प्रयास करना।
- ‘आज नगद कल उधार’ जैसे छोटे-छोटे वाक्य या कहावत पढ़ने का प्रयास करना। यह कहावत या वाक्य प्राय: शिक्षार्थी अपने आस-पास सुनते भी होंगे और स्वयं इसका प्रयोग भी करते होंगे।
- ‘उ’ लिखने का प्रयास करना।
- ‘उ’ से बनने वाले शब्द लिखने का प्रयास करना।
- चूल्हा, 49 और उपले के चित्रों को देखना और सहभागियों की मदद से उनके नाम लिखना।
- यही प्रक्रिया शेष अक्षरों के लिए अपनाई जाती है।
- ‘मेरे शब्द’ के अंतर्गत अपनी भाषा के शब्द लिखना, पढ़कर सुनाना जिनमें ‘उ’ अक्षर का प्रयोग हुआ हो।
- ‘ऊ’, ‘उ’, ‘ह’, ‘छ’, ‘फ’, ‘ठ’, ‘थ’ से बनने वाले शब्द लिखना।

■ पढ़िए और अक्षर लिखिए

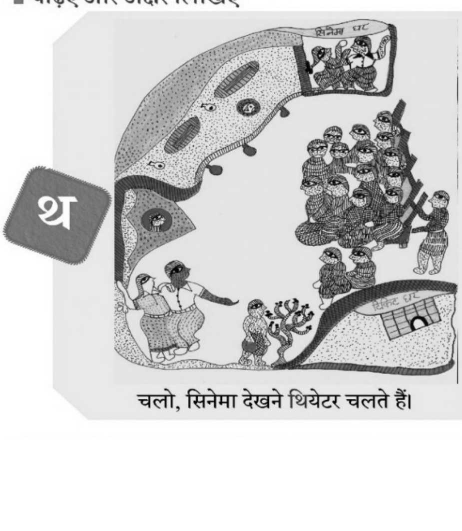

चलो, सिनेमा देखने थियेटर चलते हैं।

- 'मछुआरे के जाल में सुनहरी मछलियाँ फँस गईं।'/ 'चलो सिनेमा देखने थियेटर चलते हैं।'/ 'फागुनी, जल्दी खाओ, कुल्फ़ी पिघल रही है।' आदि वाक्यों को चित्रों की मदद से पढ़ने, उनमें आए अक्षरों, शब्दों और शब्दों में आए अक्षरों को पढ़ने के अवसर दिए गए हैं।

यह पूरी प्रक्रिया अक्षरों की अलग से पहचान करने या शब्दों में अक्षरों की पहचान करने और पढ़ने संबंधी सीखने के प्रतिफलों को संबोधित करती है।

भाषा में आवृत्ति वाले (बार-बार आने वाले) शब्दों की पहचान करने के संबंध में शोध दर्शाते हैं कि जब एक बार किसी शब्द को कूटबद्ध (encoded) किया जाता है तथा एक बार उसे देखा, पढ़ा जाता है और जब वह फिर से पाठ्य-वस्तु में आता है तो उस तक अपनी पहुँच बनाना आसान हो जाता है। अन्य शोध भी यही सुझाव देते हैं कि आवृत्ति और पुनरावृत्ति का प्राथमिक प्रभाव एन्कोडिंग की बजाय शाब्दिक पहुँच पर अधिक पड़ता है (डिक्सन और रोथकोफ, 1979; ग्लैंजर और एहरेनरिच, 1979; स्कारबोरो, कोर्टेज और स्कारबोरो, 1977)। मार्शल एडम जस्ट एवं पैट्रीसिया ए. कारपेंटर पठन के संदर्भ में स्कारबोरो (1977) के एक शोध अध्ययन का उल्लेख करते हुए यह स्थापित करते हैं कि जब एक बार कम आवृत्ति वाले अथवा जटिल शब्द पाठ्य-वस्तु में दृष्टिगत होते हैं और जैसे-जैसे उनकी आवृत्ति बढ़ती है तो उन्हें पहचानने व समझने में लगने वाला समय क्रमश: घटता चला जाता है (जस्ट एवं कारपेंटर, पृष्ठ 761)। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि एक बार दृष्टि से गुज़रने वाले शब्द अपनी ध्वनि के साथ हमारे मस्तिष्क में 'बैठ' जाते हैं। जब बार-बार वही शब्द हमारी दृष्टि से गुज़रते हैं तो उनकी पहचान करना और उन्हें समझना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है और इस प्रक्रिया से पढ़ने की गति भी बढ़ती है।

जैसा कि पूर्व में भी स्पष्ट किया गया है कि भाषा और गणित एकीकृत रूप में पढ़े एवं समझे जाते हैं। इसी प्रकार पढ़ने और लिखने की प्रक्रिया भी साथ-साथ चलती है। भाषा का कोई भी कौशल रेखीय रूप में नहीं सीखा जाता। उदाहरण के लिए 'ठ' की आकृति बनाना और उसके साथ विशेष रूप से '8', '60' एवं ठेले का चित्र देकर उनके नाम/शब्द लिखने के लिए कहना भाषा और गणित के एकीकृत रूप का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ एक ओर जिन अक्षरों की पहचान और उनके ध्वनि-आकृति संबंध की क्षमता का संवर्धन करने का प्रयास है, वहाँ शब्दों का चयन भी विशेष है, जहाँ अक्षर शब्द के प्रथम, मध्य एवं अंतिम स्थान पर आता है, न कि केवल प्रथम स्थान पर। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से यह एक उपयुक्त प्रक्रिया है, जिससे अक्षर की ध्वनि को शब्द में अनेक

स्थानों पर सुना जा सके और उनकी पहचान की जा सके। उदाहरण के लिए थकान, हथेली, कथा, छत, बछिया, गमछा आदि।

इस प्रकार, अक्षर विशेष में लगभग सभी मात्राओं से प्रयुक्त शब्दों का चयन किया गया है, जैसे—थमना, थिरकन, बथुआ, थैली, छुटकू, छीलना, बिछौना, छींकना आदि।

थमना	थकान	थरमस	थूकना
कत्था	थिरकना	बथुआ	हथेली
थोड़ा	कथा	थैली	थापना

छत	मछली	छूना	बिछौना
गमछा	छुटकू	छीलना	छाप
छुरी	छुआरा	छींकना	बछिया

यह इस बात का द्योतक है कि जब हम शब्द पढ़ना सीख रहे हैं तो शुरुआत में वे शब्द एक छवि की तरह हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं। जब कोई उस शब्द को बोलता है या स्वर में पढ़कर सुनाता है तो उन शब्दों के साथ उनकी आवाज़ भी संयोजित हो जाती है। यह अक्षरों की ध्वनि को उनकी आकृति से जोड़ने एवं स्वर और उनसे संबंधित मात्रा को पहचानने का कौशल है। जब हम पुन: उन शब्दों को देखते हैं तो मस्तिष्क में उनकी आवाज़ सुनाई देती है और हम उन शब्दों को उनकी उन्हीं आवाज़ों के साथ पहचानते हैं। यह संयोजन या सहसंबंध जितना अधिक प्रगाढ़ होगा, पढ़ना सीखना उतना ही सार्थक और सुविधाजनक होगा। 'उल्लास' प्रवेशिकाओं में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ यह सहसंयोजन देखा जा सकता है—

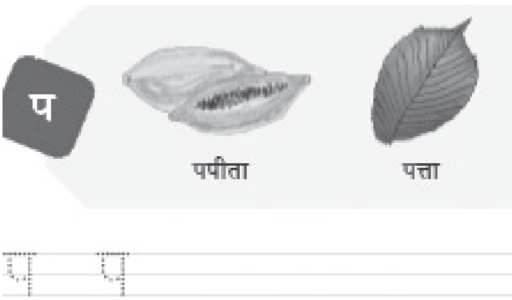

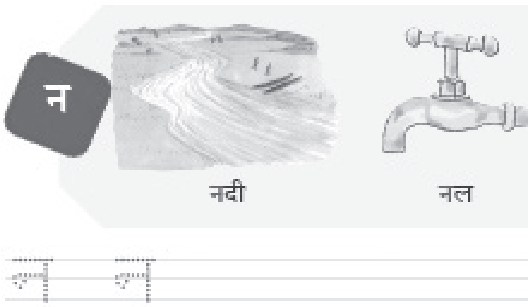

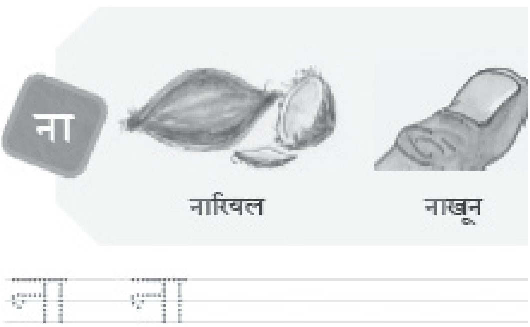

जब हम किसी पाठ्य-वस्तु को पढ़ते हैं तो उसके कई स्तर होते हैं, सरसरी तौर पर पढ़ना जिसमें अर्थ की गहनता की अपेक्षा किसी बिंदु विशेष की पहचान करना मुख्य उद्देश्य होता है। पढ़ने के उद्देश्य के अनुसार हमारी पठन-प्रक्रिया और पठन-गति निर्धारित होती है। कैनेथ एस. गुडमैन (2021) अपने एक लेख 'पठन — मनोभाषिक अनुमान लगाने का खेल' में पढ़ने की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि पढ़ने की प्रक्रिया में पाठक एक नहीं, बल्कि एक साथ तीन तरह की जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। निश्चित ही ग्राफिक इनपुट्स के बिना पठन नहीं हो सकता। लेकिन पाठक वाक्य-विन्यास और अर्थ-विज्ञान की जानकारी का प्रयोग भी करता है। इस जानकारी के आधार पर पाठक लिखित प्रिंट में 'क्या आने वाला है' इसका अनुमान तथा पूर्वानुमान लगाता है। फिर लगाए गए अपने अनुमान की पुष्टि वह अर्थ-विज्ञान और व्याकरण संबंधी जानकारी के आधार पर करता है (कैनेथ एस. गुडमैन, पृष्ठ 9, 10)। पढ़ने के संबंध में यह अवधारणा एवं स्पष्टीकरण अनुमान एवं पूर्वानुमान को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखती है। इस अर्थ में चित्र, पूर्व अनुभव, पाठ्य-वस्तु, विषय की जानकारी आदि संदर्भ के रूप में अर्थ तक पहुँचने में सहयोग करते हैं। एक से अधिक विधियों का प्रयोग करते हुए पढ़ना, अपने परिवेश में सामान्य रूप से उपलब्ध लिखत (प्रिंट या छपी हुई पाठ्य-वस्तु) को पढ़ना और उसे अपने जीवन के अनुभवों तथा स्थितियों से जोड़ना, किसी की सहायता से और क्रमशः स्वतंत्र रूप से पाठ्य-वस्तु पढ़ना, पाठ्य-वस्तु के आधार पर प्रश्नों के उत्तर (प्रतिक्रिया, टिप्पणी, तर्क, राय आदि) मौखिक या लिखित रूप से देना जैसे सीखने के प्रतिफलों को संबोधित करने की सामग्री 'उल्लास' प्रवेशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है—

'उल्लास' प्रवेशिकाएँ और बहुभाषिकता

'उल्लास' प्रवेशिकाओं में बहुभाषिकता को भली-भाँति न केवल स्थान दिया गया है बल्कि उसे प्रोत्साहित भी किया गया है। 'मेरे शब्द', मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति का लोकगीत इसका उदाहरण है, जहाँ शिक्षार्थियों को अपनी भाषा में अपनी बात कहने और लिखने के लिए कहा जाता है। कुछ पाठ ऐसे भी हैं जहाँ अपने-अपने त्योहारों, रीति-रिवाज़ों को एक-दूसरे के साथ साझा करने के भी अवसर प्रदान किए जाते हैं। किसी वस्तु का संज्ञान होना यानी उसकी पहचान होना अलग विषय है और उस वस्तु के लिए लक्ष्य भाषा (जो भाषा सीखी जा रही है) में शब्द से परिचित होना, दोनों अलग बिंदु हैं लेकिन परस्पर संबद्ध हैं। अपनी मातृभाषा से इतर भाषा में

बातचीत के लिए

- क्या आपके घर में स्त्री और पुरुषों के काम बँटे हुए हैं?
- अगर स्त्री और पुरुष दोनों ही बाहर काम करते हैं तो घर पहुँचकर किसे, कौन-से दायित्व निभाने चाहिए और क्यों?
- स्त्री और पुरुष के बीच बँटे हुए कामों की सोच समाज के लिए किस तरह घातक है?
- दोनों कहानियों में बच्चों का जवाब समाज को बदलने में किस तरह मदद करेगा?

नगरिया– उमरिया, डुमरिया डुमर वाले
खेत तैं तो निदैइया, मैं त
नगरिया संझा के बेरा, संघे
जाबौरे दोस्त ऽऽऽ

निदैइया – गावइया गादी वइसै गाले
उमरिया, डुमरिया डुमर वाले
खेत तैं तो निदैइया, मैं तो
नगरियासंझाकेबेरा,संघेजाबौ
रे दोस्त ऽऽऽ

नगरिया – नई आवै बइया
तुम्हारो आरो बइसे
गाले उमरिया,
डुमरिया डुमर वाले
खेत तैं तो निदैइया,
मैं तो नगरिया संझा
के बेरा, संघे जाबौ
रे दोस्त ऽऽऽ

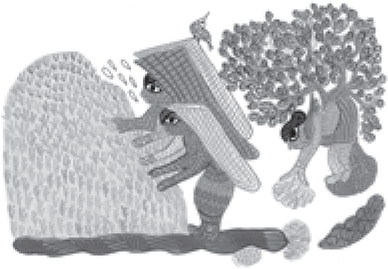

जब बोलने, पढ़ने या लिखने का अभ्यास कराया जाता है तो सहज एवं स्वाभाविक रूप से अपनी मातृभाषा के शब्द अभिव्यक्ति में आ जाते हैं।

हमारे समाज के वे व्यक्ति जो किन्हीं कारणों से विद्यालयी शिक्षा से दूर रहे या फिर पढ़ना-लिखना नहीं सीख सके, वे संभवत: अपने-अपने कार्य में कुशल भी होंगे और समझदार भी होंगे तथा जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अपेक्षाकृत

मेरे शब्द

शिक्षक-निर्देश — 'हमारा रहन-सहन' विषय पर बातचीत करें। सहभागियों से पूछकर उनके किसी त्योहार से जुड़े 3–4 शब्द लिखिए। ये शब्द उनकी अपनी भाषा के भी हो सकते हैं, जैसे 'छठ' त्योहार से जुड़े शब्द— नहाए-खाए, कोसी भरना, रसियाव आदि।

अधिक परिपक्व और जीवट व्यक्तित्व के धनी भी हो सकते हैं। उनके जीवन में केवल साक्षरता का अभाव है लेकिन फिर भी वे कई मायनों में 'पढ़े-लिखे' कहे जा सकते हैं। मौखिक भाषा की भरपूर समझ और चिंतन का उच्च स्तर इन शिक्षार्थियों को सम्मान भरी दृष्टि से देखता है। इन्हें छोटे बच्चों की तरह ऐसी पाठ्य-वस्तु नहीं चाहिए, जिसमें एक तरह का सपाटपना होता है, बल्कि ऐसी पठन सामग्री और उससे जुड़ा संवाद चाहिए जिसे वे अपने जीवन में उपयोग में ला सकें। इस संबंध में पाइलो फ्रेरे अपनी पुस्तक 'उत्पीड़ितों का शिक्षाशास्त्र' में लिखते हैं, "संवाद से शिक्षक 'छात्रों का शिक्षक' और छात्र 'शिक्षक के छात्र' नहीं रहते, बल्कि एक नया पद सामने आता है— छात्र शिक्षकों के साथ और शिक्षक छात्र के साथ। अब शिक्षक केवल वह नहीं रहता है 'जो पढ़ाता है' बल्कि छात्रों से संवाद करते समय स्वयं भी उनसे पढ़ता है। दूसरी तरफ छात्र भी वे नहीं रहते 'जो पढ़ते हैं', बल्कि शिक्षक से संवाद करते समय पढ़ने के साथ-साथ पढ़ाते भी हैं। शिक्षक और छात्र, दोनों उस प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं, जिसमें सभी की वृद्धि होती है।....यहाँ न तो कोई दूसरे को शिक्षित करता है, न स्वयं-शिक्षित होता है। यहाँ मनुष्य एक-दूसरे को शिक्षित करते हैं और उनके बीच में होता है विश्व, अर्थात वे संज्ञेय वस्तुएँ, जो बैंकीय शिक्षा में शिक्षक अपनी वस्तुएँ होती हैं" (फ्रेरे, पृष्ठ 60–61)। फ्रेरे अपने उद्धरण में शिक्षा के स्वरूप की चर्चा करते हैं और साथ-ही-साथ इस ओर भी संकेत किया है कि शिक्षक और छात्रों के मध्य किस प्रकार का संबंध अपेक्षित है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह उभरकर आता है कि कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता अपितु पढ़ने का दायित्व स्वयं शिक्षार्थी पर है और जो 'पढ़ाने' का प्रयास करता है तो वह स्वयं भी पढ़ रहा होता है। इस प्रकार शिक्षक और छात्र के मध्य 'ज्ञानवान' और 'ज्ञानहीन' का भाव तिरोहित हो जाता है। इस अर्थ में 'उल्लास' के अंतर्गत बुनियादी पढ़ना-लिखना सीखने का दायित्व शिक्षार्थी पर ही अधिक है। स्वयंसेवी शिक्षक का सर्वोपरि दायित्व यह है कि वह शिक्षार्थी को पढ़ना-लिखना सीखने के लिए प्रेरित कर सकें, सीखने में मदद करें और सीखने को सतत जारी रखें।

इस प्रकार आलोचनात्मक दृष्टि से लैस और सजग, तर्कपूर्ण व्यक्तित्व को साक्षर बनाने का दायित्व हम सभी का है। 'उल्लास' प्रवेशिकाएँ केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं हैं अपितु वे दैनिक जीवन में काम में आने वाली वस्तुओं, घटनाओं आदि को गहराई से समझने का अवसर देती हैं। सरल शब्दों में कहें तो भाषा का सीखना और जीवन का जीना साथ-साथ चलता है। उदाहरण के लिए, हम सभी जानते हैं कि स्वच्छता के लिए हाथ धोना ज़रूरी है— भोजन करने से पूर्व और शौच के बाद! इसी बिंदु पर शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करने से उन्हें स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि की जानकारी भी मिल जाएगी और चर्चा के दौरान बार-बार प्रयुक्त होने वाले पद 'हाथ धोना' के माध्यम से शिक्षार्थी 'ह', 'थ' , 'ध' एवं 'आ' की मात्रा (ा) भी सीख जाएँगे। यही बिंदु 'साक्षरता की परिभाषा' का मूल तत्व है। विषय-वस्तु के अनुरूप चित्रों का भरपूर प्रयोग पठन के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, जहाँ शुरुआत में शब्द केवल एक छवि के रूप में होते हैं और चित्रों की सहायता से पढ़ने

में मदद मिलती है। 'उल्लास' प्रवेशिकाएँ अक्षरों एवं शब्दों की पुनरावृत्ति पर विशेष बल देती हैं और यदि शब्द मूर्त होते हैं तो विषय-वस्तु को समझना सरल हो जाता है। 'उल्लास' प्रवेशिकाओं के पाठों के अंत में दिए गए विविध प्रकार के अभ्यास शिक्षार्थी को अपनी गति और क्षमता के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। उल्लास के साथ विकसित 'उल्लास' प्रवेशिकाएँ 2030 तक पूर्ण साक्षर भारत के स्वप्न को साकार करने में नि:संदेह एक उपयोगी उपकरण हैं।

संदर्भ

अलवर्मैन, डोना ई., नॉर्मन जे. अनराऊ और रॉबर्ट बी रुडेल, (संपादक). 2013. *थ्योरीटिकल मॉडल्स एंड प्रोसेसिज ऑफ रीडिंग*. इंटरनेशनल रीडिंग एसोसिएशन, नवार्क, डेलावेयर. यू.एस.

फ्रेरा, पॉलो. 1996. रमेश उपाध्याय (संपादक), *उत्पीड़ितों का शिक्षाशास्त्र*. ग्रंथ शिल्पी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.

बंटा, डब्ल्यू. टुडी और कैथरीन ए. पलोम्बा. 2014. *असेसमेंट एसेंशियल्स — प्लानिंग, इम्प्लिमेन्टेशन एंड इम्प्रूविंग असेसमेंट इन हाइअर एजुकेशन*. जोसी-बास, .ए विले ब्रांड, यू.एस.

मानव संसाधन विकास मत्रांलय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. मानव संसाधन विकास मत्रांलय, भारत सरकार.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2021. *पढ़ना है समझना*. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

वेला जे.के. 1979. *लर्निंग टू लिसन—ए गाइड टू मेथड्स ऑफ एडल्ट नॉन फार्मल एजुकेशन*. सेंटर ऑफ इटंरनेशनल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, यू.एस.

वेला जे., पी. बेरार्डिनेली और जे. बोरो.1998. *हाउ डु दे नो? इवेलुएटिंग एडल्ड लर्निंग*. विले, यू.एस.

स्मिथ, फ्रैंक. 2004, *अंडरस्टेडिंग रीडिंग— ए साइकोलिंगुस्टिक एनालिसिस ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग टू रीड*, (सिक्सथ एडिसन). लॉरेंस एर्लबॉम एसोसिएट्स, न्यू जर्सी, यू.एस.